लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

दूरभाष ९१-०७५५-२५८३६५१ फैक्स ०७५५-२५८३६५०

ई–मेल dpividhya@yahoo.com

क्रमांक/राशिकप्र/पुर./2020/1006 भोपाल, दिनांक 25/जून/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजन, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
6. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (आहरण–संवितरण अधिकारी) म.प्र.

विषयः–"राज्य/राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान/पुरस्कार–2020" हेतु ऑन–लाइन आवेदन एवं नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्र कमांक एफ–1–10/2020–एन.ए.टी. दिनांक 16 जून 2020

—00—

भारत सरकार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के पत्र कमांक एफ–1–10/2020–एन.ए.टी. दिनांक 16 जून 2020 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरूस्कार 2020 हेतु ऑन–लाइन आवेदन/नामांकन प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड प्रसारित किये गये हैं। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बेवसाईट www.mhrd.gov.in पर दिनांक 06 जुलाई 2020 तक शिक्षकों से व्यक्तिशः सीधे ऑन–लाइन नामांकन स्वीकार किये जायेंगे। संदर्भित पत्र/सहपत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2020 हेतु व्यक्तिशः नामांकन की ऑन–लाइन प्रक्रिया, समय–सारिणी, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

1. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2020 हेतु नामांकन की पात्रता

1.1 शासकीय/स्थानीय निकाय/अनुदान प्राप्त/मान्यता प्राप्त/प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल मे कार्यरत शिक्षक नामांकन हेतु पात्र होंगे।

1.2 नियमित रूप मे कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन हेतु पात्र होंगे।

1.3 सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक, एवं प्रशिक्षण संस्थाओं मे कार्यरत अमला इस नामांकन हेतु पात्र नही होगा।

1.4 संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र आदि नामांकन हेतु पात्र नही होंगे।

1.5 ट्यूशन कार्य मे संलिप्त रहने वाले शिक्षक/प्र.अ. नामांकन हेतु पात्र नही होंगे।

2. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2020 हेतु नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया

2.1 शिक्षक को भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु निर्मित पोर्टल www.mhrd.gov.in पर दिनांक 06 जुलाई, 2020 तक सीधे ऑन–लाइन नामांकन करना होगा।

2.2 प्रत्येक आवेदक को उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे किये गये उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख/ की गई गतिविधियॉ/ मैदानी भ्रमण/ किये गये कार्य के फोटोग्राफ्स, आडियो, वीडियो आदि ऑन–लाइन अपलोड करने होंगे।

2.3 नामांकनकर्ता शिक्षक द्वारा अपलोड की गई जानकारी एवं कोई भी अभिलेख/पत्र गलत पाया जाता है तो शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जायेगी।

3. जिला चयन समिति

3.1 शिक्षक द्वारा किये गये नामांकन की प्रथम स्तर पर स्क्रूटनी हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता मे जिला चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी — अध्यक्ष
- राज्य शासन के प्रतिनिधि — सदस्य
- जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित शिक्षाविद् — सदस्य

3.2 उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक–3.2 हेतु राज्य शासन का प्रतिनिधित्व हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करेंगे। जिन जिलों मे डाइट संस्थान नही है, वे जिले उनके समीपस्थ जिले के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को आमंत्रित करेंगे।

3.3 जिला चयन समिति के कर्त्तव्य भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न गाइडलाइन के बिन्दु क्रमांक – 3.8 अनुसार होंगे।

3.4 जिला चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित अधिकतम् 03 आवेदन राज्य चयन समिति को भारत सरकार के ऑन–लाइन पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेंगी।

3.5 जिला चयन समिति की कार्यवाई हेतु संबंधित जिला कलेक्टर के ई–मेल आई.डी. पर लॉग–इन आई.डी. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं राज्य चयन समिति को अग्रेषण की कार्यवाई ऑन–लाइन की जा सकेगी।

4. राज्य चयन समिति

4.1 राज्य चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

- प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग — अध्यक्ष
- भारत सरकार के नामांकित प्रतिनिधि — सदस्य
- आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश — सदस्य–सचिव
- संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद — सदस्य

(संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अनुपलब्धता पर समकक्ष व्यक्ति)

4.2 राज्य चयन समिति के कर्त्तव्य भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न गाइडलाइन के बिन्दु क्रमांक–3.10 अनुसार होंगे।

4.3 राज्य चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित अधिकतम् 06 अनुशंसाएँ भारत सरकार के ऑन–लाइन पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेंगी।

4.4 राज्य चयन समिति की कार्यवाई हेतु सचिव, स्कूल शिक्षा के ई–मेल आई.डी. पर लॉग–इन आई.डी. भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं नेशनल ज्यूरी को अनुशंसाओं के अग्रेषण की कार्यवाई ऑन–लाइन की जा सकेगी।

5. <u>समय–सारिणी</u>

भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार राष्ट्र स्तरीय पुरस्कार की ऑन–लाइन प्रक्रिया के निष्पादन हेतु समय–सारिणी निम्नानुसार निर्धारित है :–

स.क्र.	विवरण	तिथि
1	नामांकनकर्ता द्वारा राष्ट्र स्तरीय शिक्षक पुरस्कार–2020 हेतु ऑन–लाइन आवेदन एवं नामांकन की तिथि।	06.07.2020 मध्य रात्रि तक
2	जिला चयन समिति द्वारा राज्य चयन समिति के लिए ऑन–लाइन पोर्टल पर 03 अनुशंसाओं का अग्रेषण।	भारत सरकार से तिथि निर्धारण होने पर
3	राज्य चयन समिति द्वारा "नेशनल ज्यूरी" को सार्टलिस्टेड 06 अनुशंसाओं का भारत सरकार के पोर्टल पर ऑन–लाइन अग्रेषण।	भारत सरकार से तिथि निर्धारण होने पर

6. <u>मूल्यांकन</u>

भारत सरकार द्वारा जारी संलग्न गाईड लाइन के संलग्नक एक के अनुसार केटेगरी–ए हेतु 20 अंक एवं केटेगरी–बी हेतु 80 अंक निर्धारित हैं। तदनुसार ऑन–लाइन मूल्यांकन किया जाये।

7. <u>राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार</u>

भारत सरकार के पोर्टल पर जिन शिक्षको द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु नामांकन किया जायेगा। इनमें से जिला स्तरीय चयन समिति की ऑनलाईन अनुशंसा पश्चात जो प्रस्ताव ऑनलाईन राज्य स्तरीय चयन समिति को प्राप्त होंगे। उनका मूल्यांकन राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाकर जो वरीयता सूची तैयार कर अनुशंसाऐं भारत सरकार को प्रेषित की जावेगी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षको को छोड़कर एवं जिन्हें पूर्व में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे शिक्षको का वरीयता क्रम अनुसार राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार, 2020 हेतु चयन किया जावेगा।

8. <u>राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शिक्षक से शिक्षको का सम्मान</u>

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षको को महमहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रतिवर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया जाता है एवं इसी प्रकार राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों को प्रति वर्ष महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है।

राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कार–2020 हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन के मुख्य बिन्दु उपरोक्तानुसार है। तदनुसार उक्त प्रक्रिया से प्रदेश के शिक्षको को विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा अवगत कराया जाय एवं अधिक से अधिक उत्कृष्ट शिक्षकों का नामांकन निर्धारित तिथि तक भारत सरकार के पोर्टल पर कराया जाना सुनिश्चित करें।

23/6/20

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/राशिकप्र/पुर./2020/1007 भोपाल, दिनांक 25/जून/2020

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधान विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली 110 115 की ओर पत्र क्रमांक एफ–1–10/2020–एन.ए.टी. दिनांक 16 जून 2020के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश